



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

ऐलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001
email-jdanie-jod-rj@nic.in osr&lkbZV Jodhpurjd.org Phone No. 021-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2023 / ७६२६

दिनांक: २४ - ०९ - २०२३

बैठक कार्यवाही विवरण

जोधपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 30 सितम्बर 2022 के प्रस्ताव संख्या 17 में लिये गये निर्णय एवं उक्त निर्णय का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17 अक्टूबर, 2022 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा किये गये अनुमोदन की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ-21/स्थापना/2022/4226-4232 दिनांक 7 नवम्बर 2022 द्वारा गठित भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति की बैठक श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति, की अध्यक्षता में दिनांक 28 सितम्बर 2023 को प्राधिकरण कार्यालय में दोपहर 02.00 बजे अयोजित की गई। उक्त बैठक में उपरिथित सदस्यों/अधिकारीयों का विवरण परिशिष्ट-1 पर सलग्न है।

प्रस्ताव संख्या 01 :: राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किलमौ. गौचर, कुल रक्खा 63-17 बीघा में से 5 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान हेतु आवंटन के सम्बन्ध में।

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिरूप/प्रस्ताव |
|----------|---|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किलमौ. गौचर, कुल रक्खा 63-17 बीघा में से 5 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आवंटन के संबंध में। |

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उचियारडा, पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत उचियारडा द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किलमौ. गौचर, कुल रक्खा 63-17 बीघा में से 5 बीघा भूमि सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आवंटन की मांग की है।

प्राधिकरण तहसीलदार, भू.आ. निरीक्षक व पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे की भूमि राजस्व रेकर्ड अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है। गौके पर भूमि शमशान के लिये उपयोग में आ रही है तथा गौका अनुसार 30 फीट पहुँच मार्ग प्राप्त हो रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि ई-2 जोनल प्लान में प्रस्तावित नवीन सुविधा क्षेत्र में स्थित है। मार्टर प्लान रिपोर्ट अनुसार इसमें विद्यालय, चिकित्सालय, पुलिस रेशन, डाकघर, विद्युत सब-रेशन, ओवर हैड टैक आदि सुविधाएं एवं जन उपयोग सुविधाएं अनुज्ञेय होंगी, का उल्लेख है। अंतिम उपयोग की अनुज्ञेयता के सम्बन्ध में निर्णय भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति द्वारा किया जाना उचित होगा।

विधि शाखा के उच्च/अधीनरथ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केस रजिस्टर के अनुसार उक्त भूमि से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है। प्राधिकरण की अवासि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में अवासि की कोई कार्यवाही प्रवित्याधीन नहीं है।

प्राधिकरण की तेवराईट पर आमजन की टिप्पणी/आपत्ति प्राप्त करने हेतु न्यूनतम 15 दिवस के लिए अपलोड किया जा चुका है, जिसके द्वारा मैं आज दिनांक तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राजस्वान भूमि आवंटन नीति-2015 के विन्दु संख्या 2.9 (3) में सार्वजनिक सुविधाओं हेतु भूमि आवंटन हेतु क्षेत्रफल के निर्धारित मापदण्ड अनुसार समागमीय मुख्यालय पर शमशान/कब्रिस्तान हेतु

अधिकतम 3000 वर्गमीटर भूमि का आवंटन किया जा सकता है, राज्य सरकार को गुणावगुण के आधार पर किसी विशेष प्रकरण में उपरोक्त क्षेत्रफल की रीमा में छूट देने का अधिकार होगा।

अतः प्रकरण में राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 63-17 वीघा में से 3000 वर्गमीटर भूमि सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आवंटन भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत उचियारडा, पंचायत समिति मण्डोर, जोधपुर एवं सरपंच, ग्राम पंचायत उचियारडा द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किस्म गै.मु. मगरा, कुल रकबा 63-17 वीघा में से 5 वीघा भूमि सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ आवंटन की मांग की है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | राजस्व ग्राम उचियारडा के खसरा संख्या 5, किस्म गै.मु. गोचर, कुल रकबा 63-17 वीघा में से सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -1 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 2 :: राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 713 में नवीन जलयोजना के लिये नवीन हेडवर्क्स प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

अधिशासी अभियंता जन स्वारथ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खसरा संख्या 713 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 101.8997 हैक्टेयर में से 16.9967 हैक्टेयर भूमि नवीन जलयोजना के लिये नवीन हेडवर्क्स स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् का खसरा संख्या 713 रकबा 101.8997 हैक्टेयर किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं चाही गई भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एमडीपी/जेडीपी अनुसार यू-2 के अंतर्गत आरक्षित है, मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की यू-2 डीसीआर में पृथक से फिल्टर प्लांट का उल्लेख नहीं है तथापि इसके समान्तर गतिविधियों को Public and semi public के अंतर्गत As per Require of Concerned Department अनुज्ञेय किये गये हैं। केन्द्र/राज्य सरकारी कार्यालय भी अनुज्ञेय हैं। उक्त भूमि के समीप वॉटर बॉर्डी + प्लांटेशन भी दर्शित हैं।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खसरा संख्या 713 ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खेसरा संख्या 713 में नवीन जल योजना के लिये नवीन हेडवर्क्स प्रयोजनार्थ 16.9967 हैक्टेयर भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला खण्ड, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खेसरा संख्या 713 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 101.8997 हैक्टेयर में से 16.9967 हैक्टेयर भूमि नवीन जलयोजना के लिये नवीन हेडवर्क्स स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | राजस्व ग्राम गुड़ा विश्नोईयान् के खेसरा संख्या 713 में नवीन जलयोजना के लिये 16.9967 हैक्टेयर भूमि नवीन हेडवर्क्स प्रयोजनार्थ निःशुल्क आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -2 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेंट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 3 :: राजस्व ग्राम झालामण्ड के खेसरा संख्या 428 में सार्वजनिक श्मशान प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झालामण्ड, लूपी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खेसरा संख्या 428 किस्म गै.मु. गोचर रकबा 07.17 बीघा में से 1666 वर्गगज भूमि श्मशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड का खेसरा संख्या 428 रकबा 07.17 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है एवं चाही गई भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एमडीपी/जेडीपी अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर प्लान के बिन्दु संख्या 5.6.5 में शहर में विद्यमान श्मशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जायेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र-1, नगरीय क्षेत्र-2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे, का उल्लेख है। साथ ही नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03 जून 2022 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोड़कर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू-उपयोगों में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत राजकीय भूमि पर जनउपयोगी सुविधाये यथा श्मशान अनुज्ञेय किये जाने का उल्लेख है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के पेन्डिंग केश रजिस्टर के अनुसार खेसरा संख्या 428 ग्राम झालामण्ड से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम झालामण्ड के खेसरा संख्या 428 में वाल्मीकी समाज के श्मशान प्रयोजनार्थ 1666 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत झालामण्ड, लूणी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 किसम गै. मु. गोचर रक्षा 07.17 बीघा में से 1666 वर्गगज भूमि शमशान प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 428 में ग्राम पंचायत को सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ हेतु 1666 वर्गगज भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -2 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 4 :: राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 3/1 व 3/2 नवदुर्गा नगर में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन के संबंध में।

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 3/1 व 3/2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

प्राधिकरण की जोन राजस्व टीम के संयुक्त मौका निरीक्षण अनुसार राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 3/1 व 3/2 के पार्क के पश्चिम दिशा में कॉलोनी के प्रवेश द्वार के बांयी ओर स्थित खाली भूमि वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के स्वामित्व की है एवं मौके पर रिक्त है। उक्त वर्णित भूमि में दो पक्के मकान बने हुये जो कि अतिकमण थे, को ध्वस्त कर अतिकमण मुक्त कर दिये गये हैं।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है। मास्टर डवलपमेन्ट प्लान-2031 की आवासीय डीसीआर अनुसार 12 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर प्राईमरी व नर्सरी विद्यालय अनुज्ञेय है। 18 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय, 24 मीटर व अधिक मार्गाधिकार पर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय अनुज्ञेय है।

विधि शाखा के उच्च/अधीनस्थ/राजस्व सिविल न्यायालय के ऑनलाइन केस मैनेजमेन्ट सिस्टम के अनुसार खसरा संख्या 3/1 व 3/2 ग्राम ढण्ड से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.3(55) नविवि/3/2002 पार्ट जयपुर दिनांक 05 जुलाई 2021 के द्वारा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर तक निःशुल्क भूमि आवंटन की शक्तियां स्थानीय निकायों को प्रत्यायोजित की गई हैं।

अतः प्रकरण राजस्व ग्राम ढण्ड के खसरा संख्या 3/1 व 3/2 में राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ 2000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति की बैठक के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी, जोधपुर संभाग जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर राजस्व ग्राम छण्ड के खसरा संख्या 3/1 व 3/2 में से 2000 वर्गमीटर भूमि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। उपरोक्त जीन - 2 |
|-------|--|---|
| 01. | बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व समति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। | |

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 रक्वा 2000 वर्गफुट 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | राजस्व ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 रक्वा 2000 वर्गफुट 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन बाबत्। |

सहायक महाप्रबन्धक (ग्रामीण) बी.एस.एन.एल. जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 रक्वा 2000 वर्गफुट भूमि 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

प्रकरण में प्राधिकरण के पटवारी से मौका-स्वामित्व जांच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 रक्वा 21.9825 हैक्टर किस्म गै.मु. गोचर दर्ज है। मौके पर भूमि खाली है। आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान-2031 (ड्राफ्ट) अनुसार ग्रामीण एरिया में स्थित है। मास्टर प्लान- 2031 रिपोर्ट डीसीआर अनुसार ग्रामीण एरिया में पब्लिक यूटिलिटी को Permissible on all roads after approval from competent authority दर्शाया गया है। डीसीआर में मोबाईल टॉवर का अलग से उल्लेख नहीं है। आवेदित भूमि मास्टर प्लान अनुसार ग्रामीण सड़क पर स्थित है। जिसकी चौड़ाई का निर्धारण सक्षम स्तर पर तय करना आवश्यक है।

प्रकरण में विधि शाखा एंव आवाप्ति शाखा की रिपोर्ट के अनुसार उक्त खसरे में आवाप्ति की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है प्राधिकरण की विधि शाखा के अनुसार उक्त खसरे में मनानीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 6111/17 गणपत सिंह बनाम सरकार अंतिक्रमण हटाने सम्बन्धित विचाराधीन है। निदेशक विधि की राय अनुसार बाद अंतिक्रमण हटाने से सम्बन्धित है। भूमि आवंटित की जा सकती है।

अतः ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 किस्म गै.मु. गोचर रक्वा 2000 वर्गफुट भूमि 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एंव समिति निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सहायक महाप्रबन्धक (ग्रामीण) बी.एस.एन.एल. जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अन्तर्गत प्रपत्र-स प्रस्तुत कर राजस्व ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 रकबा 2000 वर्गफुट भूमि 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ निःशुल्क भूमि आवंटन करने की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम निम्बली के खसरा संख्या 305 में 4 जी मोबाईल टॉवर प्रयोजनार्थ 2000 वर्गफुट भूमि सःशुल्क आवंटन की जावे। एवम् स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -3 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 6 :: सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 रकबा 5 बीघा भूमि आवंटन के संबंध में।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा / प्रस्ताव |
|---------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज</u> / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान को ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 भूमि आवंटन के संबंध में नियमानुसार भूमि आवंटन करने की अभिषंषा की गई है। |

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र-अ व परिशिष्ट-1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर समाज की बहुउद्देशीय योजना हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 रकबा 806 बीघा किस्म गै. मु. पहाड़ जोधपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है तथा उक्त भूमि मौके पर रिक्त है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग मास्टर प्लान 2031 अनुसार जेडडीपी अनुसार यू-2 में आरक्षित है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 45 ग्राम चौखा रकबा 5 बीघा भूमि की पत्रावली शाखा में विचारार्थीन नहीं है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई भी वाद लंबित नहीं है।

उजर एतराज/आपत्ति/अनापत्ति हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 21.10.2022 को 15 दिवस के लिए ऑनलाईन अपलोड किया गया था। प्राधिकरण के प्रोग्राम की रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

विधि शाखा

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान का रजिस्ट्रेशन 122/जोधपुर 10-11 दिनांक 28/07/2010 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की सलांगन है। डी.पी.आर सलांगन है।

अतः सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान के सामुदायिक भवन हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन वास्ते प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने हेतु भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति बैठक में विचारार्थ एंव निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सूर्यनगरी जुमले पंचायत कौम कांठेवाले लौहारान विकास संस्थान द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के अनुसार प्रपत्र-अ व परिशिष्ट-1, शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन प्रस्तुत कर समाज की बहुउद्देशीय योजना हेतु ग्राम चौखा खसरा संख्या 45 में 05 बीघा भूमि आवंटन हेतु निवेदन किया है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | बैठक में विचार विमर्श के दौरान यह तथ्य प्रकट हुआ कि उपरोक्त प्रस्ताव में समस्त तथ्यों का समावेश नहीं हुआ है। अतः बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का समावेश कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। | उपायुक्त जोन -4 |

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत।

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

सचिव, अन्जुमन कौम रंगरेजान, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा किस्म बारानी-चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-2 अरबन एरिया है तथा जेडडीपी के 30 मी. सड़क पर स्थित है व जेडडीपी की किसी भी सड़क से प्रभावित नहीं है। एमडीपी-डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सड़क पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 18.08.2023 को उजर एतराज / आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404-00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

7
संस्थान का द्वारा दिया गया वाद

अन्जुमन कौम रंगरेजान का रजिस्ट्रेशन 16/2013-14 दिनांक 22/04/2013 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की सलांगन है। डी.पी.आर सलांगन है।

अतः अन्जुमन कौम रंगरेजान, जोधपुर को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

सचिव, अन्जुमन कौम रंगरेजान, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरे हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 8 :: दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था को बुझावड में खसरा संख्या 18 में भूमि आवंटन के संबंध में।

| क्र. सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|----------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था को बुझावड में खसरा संख्या 18 में भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंषा की गई है। |

सचिव, दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था द्वारा पूर्व में ग्राम राजवा के खसरा संख्या 25 में भूमि आवंटन की मांग की थी परन्तु आमजन की आपत्तियां प्राप्त होने एवं माननीय उच्च न्यायालय डीबी सिविल रिट पीटिशन नं. 8128/2021 के कारण ग्राम राजवा के खसरा संख्या 225 में भूमि आवंटन पत्र निरस्त कर दिया गया था।

सचिव दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ व परिशिष्ट-1 व शपथ पत्र व संघ विधान पत्र व ऑडिट रिपोर्ट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 18 ग्राम बुझावड में यतीम, गरीब, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए 30 बीघा (48580 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा किस्म बारानी-चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार यू2 डीसीआर अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों हेतु 18 मीटर मार्गाधिकार पर अनुज्ञेय दर्शाया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 23.06.2022 को उजर एतशज / आपत्ति हेतु अॅनलाईन अपलोड किया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404-00 घीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था के सचिव द्वारा यतीम, गरीब, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए (हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू) हेतु 48580 वर्गमीटर भूमि आवंटित करवाने का निवेदन किया है।

दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था को ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 5000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाए जाने वार्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सचिव दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ व परिशिष्ट-1 व शपथ पत्र व संघ विधान पत्र व ऑडिट रिपोर्ट व प्रोजेक्ट रिपोर्ट व रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 18 ग्राम बुझावड में यतीम, गरीब, अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए 30 घीघा (48580 वर्गमीटर) भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | दारूल उलूम फलाहे दारेन संस्था को बुझावड में खसरा संख्या 18 में 5000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 9 :: ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 किस्म गै.मु. गोचर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन के संबंध में।

| | | |
|--------|--|--|
| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोशणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव |
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 किस्म गै.मु. गोचर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिषंशा की गई है। |

सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड औसियां, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 रकबा किस्म गै.मु. गोचर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1619.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 क्षेत्रफल 39.3743 हेक्टर किस्म गै.मु. गोचर में आवेदित स्थल उच्च जलाशय हेतु मौका निरीक्षण सरपंच प्रतिनिधि श्री सांवर परिहार के साथ किया गया। खसरा संख्या 18 प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है तथा उक्त भूमि मौके पर खाली है। आवेदित स्थल राजकीय खेल मैदान के सामने स्थित है। एच.टी. लाईन के लगभग 300 मीटर की दूरी

पर है। मौके पर खसरा संख्या 18 पर कच्चा रास्ता उपयोग में लिया जा रहा है जिसका राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी-2031 का भू-उपयोग ग्रामीण है तथा उक्त भूमि एमडीपी की किसी भी सङ्क पर स्थित नहीं है परन्तु मौके पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार कच्चा रास्ता उपलब्ध है जो राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण भू-उपयोग में जल आपूर्ति केन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते हैं।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 18 ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इन्फास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1619.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सहायक अभियंता, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड औसियां, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 रकवा किस्म गै.मु. गोचर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1619.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 18 किस्म गै.मु. गोचर में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में गायो के टीन शेड निर्माण एवं चारा भण्डार हेतु रकवा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में गायो के टीन शेड निर्माण एवं चारा भण्डार हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम जुगत सिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 किस्म गै.मु.गोचर में गायो के टीन शेड एवं चारा भण्डार प्रयोजनार्थ रकवा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

मुक्त

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 संलग्न प्रमाणित राजस्व जमाबंदी अनुसार रकबा 62.7828 हेक्टेयर किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। डीसीआर अनुसार टीन शेड निर्माण कार्य हेतु पृथक से उल्लेख नहीं है किन्तु Public Utilities को permissible on all road after from complete authority दर्शाया गया है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 कुल रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 31/01/2023 को अपलोड किया गया। अपलोड समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

आवंटन नीति 2015 में उक्त प्रयोजनार्थ आवंटन का प्रावधान नहीं होने से सक्षम स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जाना प्रस्तावित है।

अतः ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा खसरा संख्या 155 में गायो के टीन शेड एवं चारा भण्डार हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बालरवा, पं.स. तिंवरी द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' में आवेदन पेश कर ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 किस्म गै.मु.गोचर में गायो के टीन शेड एवं चारा भण्डार प्रयोजनार्थ रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम जुगतसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 155 में गायो के टीन शेड निर्माण एवं चारा भण्डार हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि आवंटन नीति में प्रावधान नहीं होने के कारण निःशुल्क आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 11 :: ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में सार्वजनिक शमशान हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा / प्रस्ताव |
|--------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़ / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में सार्वजनिक शमशान हेतु भूमि आवंटन की अभिषंषा की गई है। |

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' व परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 किस्म गै.मु.ठरडा में सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 रकबा 16.5192 हेक्टेयर किस्म गै. मु. ठरडा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के स्वामित्व की भूमि है तथा मौके पर शमशान के उपयोग में लिया जा रहा है जिसके अवशेष मौजूद है। खसरा संख्या 1/44 में पूर्व में आवंटित प्राथमिक विद्यालय व आंगनबाड़ी के पास शमशान स्थित है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है व एमडीपी की किसी भी सङ्क पर स्थित नहीं है व पटवारी रिपोर्ट में पहुंच मार्ग के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं है। नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण भू-उपयोग में शमशान घाट अनुज्ञय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 के अनुसार शमशान / कब्रिस्तान हेतु संभागीय मुख्यालय अधिकतम क्षैत्रफल पर 3000 वर्गमीटर तक एवं संभागीय मुख्यालय को छोड़कर अन्यत्र अधिकतम क्षैत्रफल 4000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन की जा सकती है।

अतः ग्राम चैनसिंह बालरवा खसरा संख्या 1/44 में सार्वजनिक शमशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सीईओ, जिला परिषद् के पत्रांक 998 दिनांक 08.05.2023 के अनुसार विकास अधिकारी, बालरवा, पं.स. तिंवरी, जोधपुर द्वारा आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' व परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 किस्म गै.मु.ठरडा में सार्वजनिक शमशान प्रयोजनार्थ 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम चैनसिंह नगर बालरवा के खसरा संख्या 1/44 में सार्वजनिक शमशान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 12 :: ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र. स. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|---|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड औसियां, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' एवं परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु रकबा 1619.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 क्षेत्रफल 1.1331 हैक्टर किस्म गै. मु. गोचर में आवेदित स्थल उच्च जलाशय निर्माण हेतु सरपंच प्रतिनिधि श्री रामकिशोर परिहार के साथ मौका देखा गया। खसरा संख्या 42 प्राधिकरण के स्वामित्व की भूमि है। आवेदित स्थल खाली है। मौके पर आवेदित स्थल पर जाने हेतु खसरा संख्या 42 में मौके पर चारण समाज शमशान घाट से होकर रास्ता है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का एमडीपी-31 अनुसार भू-उपयोग ग्रामीण है तथा डीसीआर अनुसार ग्रामीण भू-उपयोग में उच्च जलाशय का अलग से उल्लेख नहीं है परन्तु नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 03.06.2022 के अनुसार ग्रामीण भू-उपयोग में जन उपयोगी सुविधाये / जल आपूर्ति केन्द्र अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। उक्त भूमि एमडीपी/जेडडीपी की किसी भी सड़क पर स्थित नहीं है व उक्त भूमि के लिये पहुंच मार्ग जमाबंदी अनुसार उपलब्ध नहीं है परन्तु मौके पर पटवारी रिपोर्ट अनुसार कच्चा रास्ता है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 से संबंधित कोई वाद लंबित नहीं है।

आवंटन नीति 2015 में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को इन्फास्ट्रक्चर हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

अतः ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ पेश है।

निर्णय

सहायक अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड औसियां, जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति-2015 के प्रावधानों के अनुरूप 'प्रपत्र-स' एवं परिशिष्ट-1 में आवेदन पेश कर ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु रकबा 1619.57 वर्गमीटर भूमि आवंटन की मांग की गई है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम चौपासनी चारणान के खसरा संख्या 42 में उच्च जलाशय निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 13 :: खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंखा/प्रस्ताव |
|---------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 1000 वर्ग मीटर भूमि खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्। |

खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास निर्माण हेतु रकवा 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की वैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकवा 521-15 वीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 वीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की वैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 06.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकवा 521-15 वीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.—2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 92/जोधपुर/2012-13 दिनांक 31.07.2012
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में खटीक कर्मचारी विकास समिति, जोधपुर को छात्रावास निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 14 :: वादी समाज समिति, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 1000 वर्ग मीटर भूमि वादी समाज समिति, जोधपुर छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत्। |

वादी समाज समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम में दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 06.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 121/जोधपुर/11-12 दिनांक 04.07.2011
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में वादी समाज समिति, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में छात्रावास हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

वादी समाज समिति, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 1000 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में वादी समाज समिति, जोधपुर को छात्रावास निर्माण हेतु 1000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 15 :: द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत। |

द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जस्ती नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा रथगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 23.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.—2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 241/JODHPUR/2005-06 दिनांक 31.01.2006
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में द युवा पारीक सोसायटी, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आविटिंग करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 16 :: फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंसा/प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत। |

फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 वीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 वीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 28.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 वीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2018/JODHPUR/100519 दिनांक 22.11.2018
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में फकीर शाह समाज संस्थान, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 17 :: गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है। |

गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 289/JODHPUR/2002-03 दिनांक 03.02.2003
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में गुरुडा (गर्ग) समाज विकास संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 18 :: जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन बाबत। |

जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है। ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 13.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक 138/JODHPUR/2017-18 दिनांक 18.07.2017
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में जाटा मेघवाल न्याति नोहरा विकास संस्थान, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 19 :: मारवाड जाट महासभा, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में बालिका एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|---------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में बालिका एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है। |

मारवाड जाट महासभा, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत बालिका छात्रावास हेतु 7800 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा विस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 13.09.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुशेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं—

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक COOP/2018/JODHPUR/100195 दिनांक 09.04.2018
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में मारवाड जाट महासभा, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में बालिका एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मारवाड जाट महासभा, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत बालिका छात्रावास हेतु 7800 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में मारवाड जाट महासभा, जोधपुर में बालिका एवं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंग करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जौन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 20 :: यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|---------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध <u>दस्तावेज</u> / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में 2500 वर्ग मीटर भूमि यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है। |

यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों / संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है—

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है। 15 उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 05.09.2023 को अपलोड किया गया।

दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 ग्रि व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc, अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं-

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र कमांक 76/Jodhpur/2014-15 दिनांक 09.06.2014
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

अतः ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में सामुदायिक भवन एवं छात्रावास हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निरतारण रामिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु रकबा 2500 वर्ग मीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में यादव (अहिर) समाज संस्थान, जोधपुर को सामुदायिक भवन एवं छात्रावास निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंग करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 21 :: विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में नेत्रहीन एवं विकलांग छात्र- छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में नेत्रहीन एवं विकलांग छात्र- छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने की अभिशंषा की गई। |

विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर नैत्रहीन एवं विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में समाजों/संस्थानों के लिये प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 के प्रस्ताव संख्या 05 में भूमि आवंटन हेतु निम्न शाखा की रिपोर्ट ली गयी जो निम्नानुसार है-

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 5 रकबा 521-15 बीघा किस्म गै.मु. छीतर में से जरिये नम्बर 689 दिनांक 18.02.2005 द्वारा 481-15 बीघा भूमि नगर सुधार न्यास जोधपुर के नाम दर्ज हुई।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में विभिन्न वाद लंबित है परन्तु कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 23.01.2023 में निदेशक विधि द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रश्नगत खसरे की भूमि के संबंध में मात्र नोटिस प्राप्त हुआ है तथा स्थगन आदेश नहीं है।

उजर एतराज हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 28.08.2023 को अपलोड किया गया। 15 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 कुल रकबा 521-15 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार Festival City/ Tourist Facilities में आरक्षित है MDP-2031-DCR अनुसार उक्त भू-उपयोग 18 मी व अधिक मार्गाधिकार में Cultural Center, Religious Buildings, Community Center etc. अनुज्ञेय है।

संस्था द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं-

1. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं चैक लिस्ट
2. सचिव जेडीए के पक्ष में 5000/- की डी.डी.
3. संस्था का रजिस्ट्रेशन पंजीयन प्रमाण पत्र क्रमांक S/21994 of 1991 दिनांक 26.06.1991
4. संस्था का संविधान की प्रति
5. वित्तीय वर्ष 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 की ऑडिट रिपोर्ट
6. डी.पी.आर

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त संस्थान को जो.वि.प्रा. द्वारा 23.04.2012 के प्रस्ताव संख्या 6(2) के अनुसार नैत्रहीन छात्रावास 05 बीघा भूमि ग्राम बड़ली में आवंटन राज्य सरकार की स्वीकृति होने पर करने का निर्णय लिया गया था। राज्य सरकार के आदेशानुसार प3 (99) नविवि/13/2012 दिनांक 04.07.2013 के अनुसार संस्थान को आरक्षित दर 1700/- प्रति वर्गमीटर की दर से 30 प्रतिशत दर पर आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार की स्वीकृति उपरांत जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा दिनांक 01.01.2013 को संस्थान को आवंटित भूमि का आवंटन पत्र की कीमत एवं प्रशासनिक शुल्क रूपये 70,17,021/- का आवंटन पत्र जारी किया गया था।

आवंटन पत्र जारी करने के पश्चात् संस्थान द्वारा आवंटित भूमि की राशि जमा नहीं करवाई गई, तथा संस्थान के अध्यक्ष डॉ. कुसुमलता भंडारी द्वारा दिनांक 17.10.2013 को पत्र प्रस्तुत कर आवंटन दर पर पुनः विचार कर उपरोक्त आवंटन निःशुल्क करने की मांग की है, जिसके संबंध में प्राधिकरण पत्रांक 403 दिनांक 26.12.2013 को राज्य सरकार को पत्र प्रेषित किया गया राज्य सरकार से इस संबंध में कोई आदेश/

मार्गदर्शन प्राप्त नहीं हुआ है। दिनांक 25.02.2020 को पुनः पत्र राज्य सरकार को लिखा गया। मार्गदर्शन अथवा आदेश अप्राप्त होने से नवीन सिरे से कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, को नेत्रहीन एवं विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर नेत्रहीन एवं विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन की मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, को पूर्व में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा 01.01.2013 के आवंटन को निरस्त करते हुए ग्राम बड़ली के खसरा संख्या 05 में विकलांग पुर्नवास एवं प्रशिक्षण संस्थान, जोधपुर को नेत्रहीन एवं विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु 7000 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 22 :: उप स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी करवड (केरो) हेतु ग्रम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में से 3 बीघा भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|--------|---|--|
| 1 | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी करवड (केरो) हेतु ग्रम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में से 3 बीघा भूमि आवंटन बाबत। | उप स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी करवड (केरो) हेतु ग्रम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में से 3 बीघा भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है। |

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दर्झजर जोधपुर के द्वारा दिनांक 28.7.2023 को प्रपत्र से भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बासनी करवड (केरो) हेतु राजस्व ग्राम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में से 3 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में चाही गई भूमि मौके पर रिक्त हैं। उक्त भूमि ग्राम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में स्थित जो रिंग रोड स्थित है जिसके सामने गांव बासनी करवड़ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि एमडीपी 2031 के अनुसार मिश्रित भू-उपयोग जिसमें उप स्वास्थ्य केन्द्र अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद-विवाद लम्बित नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में दिनांक 30.6.2021 के राजकीय विभाग को भूमि आवंटन में आपत्ति सूचना की आवश्यकता नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र बासनी करवड (केरू) हेतु राजस्व ग्राम बासनी लाठा के खसरा संख्या 91 किसम गै.मु गौचर रकबा 12 बीघा भूमि में से उपरोक्त प्रावधानुसार 500 व.मी. भूमि एवं आवेदन अनुसार 500 बीघा भूमि राजस्थान भूमि आवंटन नीति-2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

चिकित्सा अधिकारी प्रभारी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र दईजर जोधपुर के द्वारा दिनांक 28.7.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र बासनी करवड (केरू) हेतु राजस्व ग्राम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में से 3 बीघा भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्रम बासनी लाठा के खसरा सं 91 में उप स्वास्थ्य केन्द्र, बासनी करवड (केरू) हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -6 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 23 :: पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बुधनगर हेतु ग्रम बुधनगर के खसरा सं 1113 में भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा / प्रस्ताव |
|--------|---|--|
| 1 | पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बुधनगर हेतु ग्रम बुधनगर के खसरा सं 1113 में भूमि आवंटन बाबत। | पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बुधनगर हेतु ग्रम बुधनगर के खसरा सं 1113 में भूमि आवंटन की अभिशंषा की जाती है। |

पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय जोधपुर के द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा उप केन्द्र बुधनगर हेतु राजस्व ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 में से 0-12 बीघा अर्थात् 1000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 किलोमीटर लाटा जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। ग्राम पंचायत हेतु आवंटित भूमि व विद्यालय के बीच स्थित है। जो मौके पर रिक्त है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि एमडीपी 2031 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है तथा उक्त भूमि ग्रामीण सङ्क पर स्थित है। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 3.6.2022 के अनुसार क्षेत्रिक भू-उपयोग परिवर्तन में राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाये अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद-विवाद लम्बित नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में दिनांक 30.6.2021 के राजकीय विभाग को भूमि आवंटन में आपत्ति सूचना की आवश्यकता नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वारक्ष्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार स्थानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

अतः पशु चिकित्सा उप स्वारक्ष्य केन्द्र बुधनगर हेतु राजस्व ग्राम बुधनगर के खसरा संख्या 1113 किलोमीटर लाटा रकबा 2.16 बीघा भूमि में से 1000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन स्वीकृति प्रकरण उचित निणर्याथ हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत हैं।

निर्णय

पशु चिकित्सा अधिकारी राजकीय पशु चिकित्सालय जोधपुर के द्वारा दिनांक 16.05.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत पशु चिकित्सा उप केन्द्र बुधनगर हेतु राजस्व ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 में से 0-12 बीघा अर्थात् 1000 व.मी. भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम बुधनगर के खसरा सं 1113 में पशु चिकित्सा उप केन्द्र, बुधनगर हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -6 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 24 :: उप स्वास्थ्य केन्द्र, जाजीवाल विश्नोईयान हेतु ग्रम विश्नोईयान के खसरा सं 491 में से 500 व.मी. भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिषंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|---|
| 1 | उप स्वास्थ्य केन्द्र, जाजीवाल विश्नोईयान हेतु ग्रम विश्नोईयान के खसरा सं 491 में से 500 व.मी. भूमि आवंटन बाबत। | उप स्वास्थ्य केन्द्र, जाजीवाल विश्नोईयान हेतु ग्रम विश्नोईयान के खसरा सं 491 में से 500 व.मी. भूमि आवंटन की अभिषंषा की जाती है। |

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डोर जोधपुर के द्वारा दिनांक 25.7.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाजीवाल विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान के खसरा सं 491 में से 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान के खसरा सं 491 रक्बा 12 बीघा किस्म गै.मु गौचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि मौके पर पहँच मार्ग 30 से 40 फीट हैं। प्रस्तावित भूमि के ऊपर से एच टी लाईन नहीं जा रही है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि एमडीपी 2031 के अनुसार किसी भी सड़क पर स्थित नहीं है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 4.8.2022 के अनुसार यू-2 भू-उपयोग में राजकीय चिकित्सा अनुज्ञेय है। विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे पर कोई वाद-विवाद लम्बित नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में दिनांक 30.6.2021 के राजकीय विभाग को भूमि आवंटन में आपत्ति सूचना की आवश्यकता नहीं है।

भूमि आवंटन नीति-2015 के संदर्भ में नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(55)नविवि/3/2002/पार्ट जयपुर दिनांक 30.6.2021 के बिन्दू सं 9.3 के अनुसार उप स्वास्थ्य भवन हेतु 500 व.मी भूमि निःशुल्क आवंटन के अधिकार रथानीय स्तर पर उक्त सीमा से अधिक आवंटन स्थिति में प्रस्ताव मय औचित्य टिप्पणी राज्य सरकार को भिजवाया जायेगा।

अतः उप स्वास्थ्य केन्द्र जाजीवाल विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम जाजीवाल विश्नोईयान के खसरा संख्या 491 किस्म गै.मु गौचर रक्बा 12 बीघा भूमि में से उपरोक्त प्रावधानुसार 500 व.मी. भूमि, भमि आवंटन नीति-2015 के तहत निःशुल्क आवंटन का प्रस्ताव निर्णय हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी मण्डोर जोधपुर के द्वारा दिनांक 25.7.2023 को प्रपत्र स में भूमि आवंटन नीति-2015 के अन्तर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र जाजीवाल विश्नोईयान हेतु राजस्व ग्राम

जाजीवाल विश्नोईयान के खसरा सं 491 में से 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम विश्नोईयान के खसरा सं 491 में उप स्वारथ्य केन्द्र, जाजीवाल विश्नोईयान हेतु 500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -6 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 25 :: ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में रकबा 22 बीघा कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिषंशा/प्रस्ताव |
|--------|---|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़ / टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिषंशा की गई है। |

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर खसरा संख्या 256 व 257 ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) में कब्रिस्तान हेतु रकबा 22 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में वर्तमान में लगभग 15 बीघा में चार दीवारी बनाकर कब्रिस्तान बना हुआ हैं जो लगभग 30-35 वर्षों से कब्रिस्तान हेतु काम में लिया जा रहा है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी -2031 के यू-2 में आरक्षित है। एमडीपी -2031 की रिपोर्ट अनुसार शहर में विद्यमान शमशान एवं कब्रिस्तान स्थलों यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र-1 नगरीय क्षेत्र -2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण की वेबसाईट पर दिनांक 12/01/2022 को आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पूर्व में आयोजित दिनांक 26/04/2022 को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 13 में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक संस्था द्वारा कितनी भूमि का मौके पर उपयोग किया जा रहा है तथा मौके पर निर्मित चार दीवारी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय की पालना में प्राधिकरण के अधिशाषी अभियंता से मौके रिपोर्ट मंगाई गई।

अधिशाषी अभियंता की रिपोर्ट अनुसार मौके पर सुखी चार दीवारी व हॉल मय बरामदा बना हुआ है जिसका निर्माण समाज के द्वारा करवाया गया होना बताया है।

आवंटन नीति— 2015 के अनुसार कब्रिस्तान/शमशान हेतु 3000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः ग्राम विकास अधिकारी, रोहिल्ला कलां द्वारा ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में 22 बीघा हेतु आवेदन किया है। अतः प्रकरण में 3000 वर्गमीटर भूमि कब्रिस्तान हेतु आवंटन करने के लिए प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निरस्तारण समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर खसरा संख्या 256 व 257 ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) में कब्रिस्तान हेतु रकबा 22 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | ग्राम मोकलावास (फकरापुरी) खसरा संख्या 256 व 257 में कब्रिस्तान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 26 :: ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा संख्या 509 व 556 में कब्रिस्तान हेतु रकबा 15 बीघा किस्म गै. मु. गोचर भूमि आवंटन बाबत्।

| क्र.सं. | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंसा/प्रस्ताव |
|---------|--|---|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़ /टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा संख्या 509 व 556 में कब्रिस्तान हेतु भूमि आवंटन के संबंध में आवंटन करने की अभिशंसा की गई है। |

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 509 व 556 ग्राम रोहिल्ला कलां में कब्रिस्तान हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम रोहिल्ला कलां में लगभग 15 बीघा में चार दीवारी कर रखी है जिसमें ईदगाह बड़ा हॉल ट्युबेल, टांका तथा विद्युत कनेक्शन हो रखा है तथा मौके पर उपस्थितान अनुसार मौके पर बनी चार दीवारी का निर्माण प्राधिकरण द्वारा करना बताया गया है। खसरा संख्या 509 व 556 किस्म गै. मु. गोचर जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रश्नगत भूमि एमडीपी -2031 के यू-2 में आरक्षित है। एमडीपी -2031 की रिपोर्ट अनुसार शहर में विद्यमान शमशान एवं कब्रिस्तान स्थलों को यथावत रखा जावेगा। शहर के भविष्य की आवश्यकताओं हेतु उपयुक्त स्थलों का चयन कर नगरीय क्षेत्र-1 नगरीय क्षेत्र -2 से बाहर ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेंगे।

विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

प्राधिकरण की वेबसाइट पर दिनांक 12/01/2022 को आपत्ति हेतु अपलोड करवाया गया था जिसके संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

प्रकरण पूर्व में आयोजित दिनांक 26/04/2022 को प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक के समक्ष रखा गया था जिसके प्रस्ताव संख्या 13 में यह निर्णय लिया गया कि आवेदक संख्या द्वारा कितनी भूमि का मौके पर उपयोग किया जा रहा है तथा मौके पर निर्मित चार दीवारी का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, की रिपोर्ट के साथ प्रकरण आगामी बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया था। निर्णय की पालना में प्राधिकरण की अधिशासी अभियंता से मौके रिपोर्ट मंगाई गई।

अधिशासी अभियंता की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस चारदीवारी निर्माण हेतु निविदा संख्या 15/2012-13 दिनांक 28/12/12 द्वारा निविदा जारी की गई। इस कार्य के लिए संवेदक मैसर्स सजंय माथुर को कार्यादेश राशि 30,73,653/- रुपये का जारी किया गया। इस कार्य पर कुल व्यय 27,99,061/- रुपये हुआ है। कार्य पूर्ण दिनांक 24/06/2014 को हुआ है।

आवंटन नीति— 2015 के अनुसार कविरत्नान/श्मशान हेतु 3000 वर्गमीटर तक भूमि आवंटन का प्रावधान है। अतः कविरत्नान हेतु ग्राम रोहिल्ला कला के खसरा संख्या 509 व 556 में 3000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण प्राधिकरण की भूमि एवं संपत्ति निस्तारण समिति के समक्ष निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत रोहिल्ला कलां द्वारा आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र स तथा परिशिष्ट-1 प्रस्तुत कर पत्र प्रस्तुत कर खसरा संख्या 509 व 556 ग्राम रोहिल्ला कलां में कविरत्नान हेतु 15 बीघा भूमि आवंटन की मांग की है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | ग्राम रोहिल्ला कलां खसरा संख्या 509 व 556 में कविरत्नान हेतु 3000 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटित की जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निवेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 27 :: राजस्थान आवासन मण्डल को जोधपुर के ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812, 821, 786 में 1000 बीघा भूमि आवंटन के बाबत।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | राजस्थान आवासन मण्डल को जोधपुर के ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812, 821, 786 में 1000 बीघा भूमि आवंटन के बाबत। |

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर के ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812 में 1000 बीघा भूमि आवंटन मांग की गयी है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812, 821 व 786 को सम्मिलित करते हुए 1000 बीघा भूमि चिन्हित की गई है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 रकबा 10429-15 बीघा किस्म गै.मु. भाकर 821 रकबा 21-02 बीघा किस्म गै.मु. भाकर व 786 रकबा 248-13 बीघा किस्म गै.मु. भाकर भूमि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम दर्ज है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरों में कोई वाद लंबित नहीं है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम केरू के खसरा संख्या 812 रकबा 10429-15 बीघा किस्म गै.मु. भाकर 821 रकबा 21-02 बीघा किस्म गै.मु. भाकर व 786 रकबा 248-13 बीघा किस्म गै.मु. भाकर भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का भू-उपयोग एम.डी.पी.-2031 अनुसार औद्योगिक प्रयोजनार्थ आरक्षित है व ग्रामीण क्षेत्र में आरक्षित हैं व MDP सड़क 90 मीटर के सहारे प्रस्तावित 30 मीटर (100 फीट) वृक्षारोपण पट्टी में आरक्षित हैं। उक्त भूमि MDP की प्रस्तावित 90 मीटर (300 फीट) बाह्य रिंग रोड पर स्थित है। MDP DCR अनुसार Industrial use में Residential use के अंतर्गत Staff Quarters & Rural Area में Residential use में Farm House को ही अनुज्ञेय किया गया है। आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रपत्र-स में भूमि आवंटन का उद्देश्य में आवासीय उपयोग दर्शाया गया है।

अतः ग्राम केरू के खसरा संख्या 812, 821 व 786 में राजस्थान आवासन मण्डल हेतु 1000 बीघा भूमि आवंटन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाये जाने वास्ते प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा जोधपुर के ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812 में 1000 बीघा भूमि आवंटन मांग की गयी है।

| क्र.स | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|-------|--|--------------------------------|
| 01. | राजस्थान आवासन मण्डल को जोधपुर के ग्राम केरू के खसरा नम्बर 812, 821, 786 में 1000 बीघा भूमि आरक्षित दर पर सशुल्क आवटिंग करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -5 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 28 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 1500 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत्।

| क्र.स. | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेण्डा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|---|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज़/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

मारवाड़ शेख सर्यद, मुगल, पठान विकास समिति जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा किस्म बारानी-चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-2 अरबन एरिया है तथा जेडीपी के 30 मी. सड़क पर स्थित है व जेडीपी की किसी भी सड़क से प्रभावित नहीं है।

एमडीपी-डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सड़क पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 14.08.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404-00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।

मारवाड़ शेख सर्यद, मुगल, पठान विकास समिति का रजिस्ट्रेशन 106/जोधपुर/2015-16 दिनांक 27/07/2015 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की सलंग्न है। डी.पी.आर सलंग्न है।

अतः मारवाड़ शेख सर्यद, मुगल, पठान विकास समिति, जोधपुर को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

मारवाड़ शेख सर्यद, मुगल, पठान विकास समिति जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

| क्र.सं | निषेध | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|---|--------------------------------|
| 01. | मारवाड़ शेख सर्पद, मुगल, पठान विकास समिति जोधपुर को ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवंटित करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |

प्रस्ताव संख्या 29 :: ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 1500 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे प्रयोजनार्थ आवंटन बाबत्।

| क्र.सं | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में घोषणा | प्रभारी अधिकारी की एजेंडा के संबंध में अभिशंषा/प्रस्ताव |
|--------|--|--|
| 1. | पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज/टिप्पणियों के अनुसार कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। | ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में न्याति नोहरे हेतु भूमि आवंटन की अभिशंषा की गई है। |

अध्यक्ष अन्जुमन कौम नागोरी सिलावटान (विकास पंचायत) जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

पटवारी की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा किस्म बारानी-चतुर्थ राजस्व जमाबंदी अनुसार वर्तमान में जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम दर्ज है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू-उपयोग यू-2 अरबन एरिया है तथा जेडीपी के 30 मी. सड़क पर स्थित है व जेडीपी की किसी भी सड़क से प्रभावित नहीं है। एमडीपी-डीसीआर अनुसार 18 मी. व अधिक सड़क पर Socio & ward center अनुज्ञेय है।

विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरे में कोई वाद लंबित नहीं है।

उक्त प्रकरण प्राधिकरण की वेब साईट पर दिनांक 13.04.2023 को उजर एतराज/ आपत्ति हेतु ऑनलाईन अपलोड किया गया था जिसकी समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अवाप्ति शाखा की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 कुल रकबा 404-00 बीघा भूमि की पत्रावली अवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है।


अन्जुमन कौम नागोरी सिलावटान (विकास पंचायत) जोधपुर का रजिस्ट्रेशन 144 / 1995-96 दिनांक 22/11/1995 को हो चुका है ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 की सलंगन है। डी.पी.आर सलंगन है।

अतः अन्जुमन कौम नागोरी सिलावटान (विकास पंचायत) जोधपुर को न्याति नोहरे (सामुदायिक भवन) हेतु ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 रकबा 404-00 बीघा में से 1500 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

अध्यक्ष अन्जुमन कौम नागोरी सिलावटान (विकास पंचायत) जोधपुर द्वारा भूमि आवंटन नीति 2015 के तहत प्रपत्र-अ, परिशिष्ट-1 शपथ पत्र मय चैक लिस्ट में आवेदन पेश कर ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में रकबा 2000 वर्गमीटर भूमि न्याति नोहरे हेतु आवंटन का निवेदन किया गया है।

| क्र.सं | निर्णय | जिनके द्वारा पालना की जानी है। |
|--------|--|--------------------------------|
| 01. | अध्यक्ष अन्जुमन कौम नागोरी सिलावटान (विकास पंचायत) जोधपुर को ग्राम बुझावड के खसरा संख्या 18 में सामुदायिक भवन हेतु 1500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित दर की 50 प्रतिशत राशि पर आवटिंत करने की अभिशंषा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे। | उपायुक्त जोन -4 |
| 02. | राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात प्राधिकरण की जी.आई.एस. लेब में कमिटमेन्ट दर्ज किया जावे। | निदेशक आयोजना |



(डॉ हरीतिमा)

सचिव

क्रमांक /बैठक /2023/२६२७-३२

दिनांक:- २८.०९.२०२३

प्रतिलिपी वास्ते सचूनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1 निजी सचिव, अध्यक्ष/ आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 2 निजी सचिव, सचिव महोदय , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर
- 3 निदेशक, अभियांत्रिकी/आयोजना/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 4 उपायुक्त-जोन 1/2/3/4/5/6, उप सचिव ,जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 5 सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
- 6



(डॉ हरीतिमा)

सचिव

श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त, जोधपुर विकास , प्राधिकरण , जोधपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28 सितम्बर , 2023 को दोपहर 02.00 बजे आयोजित भूमि निरसारण समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

01. श्री देवेन्द्र कुमार, आयुक्त , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
02. डॉ हरीतिमा, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
03. श्री श्रवण सिंह , उपायुक्त जोन-3/4 जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
04. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, उपायुक्त जोन –5 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
05. श्री श्रवण कुमार , उपायुक्त जोन –6 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
06. श्री महेन्द्र चौधरी , निदेशक आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
07. श्री जगदीश प्रसाद, निदेशक विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
08. श्री महेन्द्रसिंह पंवार ,निदेशक अभियान्त्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
09. श्री राजपाल यादव, उपायुक्त जोन –2 , जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |
10. श्रीमती मृदुला शेखावत, उपायुक्त जोन –1, जोधपुर विकास प्राधिकरण , जोधपुर |